न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 81/2025

उनवान

1. सुखा पुत्र श्री मांगू बैरवा नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र श्री मांगू बैरवा नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारी वैष्णव नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. सोहन गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. सत्यनारायण पुत्र श्री भैरू बैरवा नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. बाली पत्नी श्री गोपी गुर्जर नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
6. किशन पुत्र श्री भैरू गुंर्जर नि0 दौलपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09–06–2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूॅ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 25.04.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम कानपुरा पटवार हल्का दुडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 129 की आराजी नम्बर 381/1 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 400 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 411/2 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 414/2 रकबा 0.0632 कुल किता 04 रकबा 0.5817 हैक्टयर, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01,02 व 04 लगायत 05 विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 03 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 03 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ग्राम कानपुरा पटवार हल्का दुडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 129 की आराजी नम्बर 381/1 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 400 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 411/2 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 414/2 रकबा 0.0632 कुल किता 04 रकबा 0.5817 हैक्टयर, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ